

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Civil Misc. Appeal No. 290/2024

Smt. Arpita W/o Shri Ravi Kalra D/o Shri Satyapal Jaggi, Aged About 34 Years, R/o 1 B32 Chandra Shekhar Azad Nagar Bhilwara Presently R/o House No 17/377 Chopasani Housing Board Jodhpur (Rajasthan)

----Appellant

Versus

Ravi S/o Shri Madan Gopal Kalra, R/o 1 B 32 Chandra Shekhar Azad Nagar Bhilwara (Rajasthan).

----Respondent

For Appellant(s)	:	Ms. Suman Agrawal
For Respondent(s)	:	Mr. Rakesh Arora

**HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI
HON'BLE MR. JUSTICE SUNIL BENIWAL**

Order

15/07/2025

1. The present appeal is filed against the judgment and decree dated 08.01.2024 passed by the learned Judge, Family Court No.2, Bhilwara.
2. Learned counsel along with the respective parties have submitted an application for grant of divorce under Section 13-B of the Hindu Marriage Act. Counsel for the parties have also submitted an agreement arrived at between the parties.
3. Since the parties have jointly submitted that they are all agreeable to the divorce, it will be appropriate to take the agreement on record.
4. The agreement arrived at between the parties is reproduced hereunder and the same is taken on record :-

'मुझ प्रथम पक्षकार रवि कालरा का विवाह द्वितीय पक्षकार अर्पिता कालरा से दिनांक 8.2.2011 को सम्पन्न हुआ था शादी के पश्चात् हमारे दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री उन्नति एवम पुत्र उत्कर्ष का जन्म हुआ। पिछले 5-4-2021 से मुझ पक्षकार एवम द्वितीय पक्षकार के बीच वैचारिक मतभेद चल रहा है। द्वितीय पक्षकार 5.4.2021 से लगातार अपने माता पिता के यहां निवास कर रही है। दोनों बच्चे भीलवाड़ा में मेरे एवम मेरे माता पिता के साथ रह रहे हैं जो अध्ययनरत हैं। प्रथम पक्षकार एवम द्वितीय पक्षकार के बीच वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गये कि अब हम दोनों का एक ही छत के नीचे रहना संभव नहीं है। अतः आपसी समझौता एवम सहमति से हम दोनों पक्षों से वैवाहिक जीवन से पृथक-पृथक रहने एवम सहमति से विवाह विच्छेद डिक्री लेने का निर्णय लिया है। जिसके लिये हम दोनों पक्षकारों ने बैठकर यह समझौता किया है।

01. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार से आजीवन भरण पोषण हेतु 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) प्राप्त करेगी। जिसकी अदायगी 02 डिमाण्ड ड्राफ्ट 25-25 लाख के अदा किये जा रहे हैं ड्राफ्ट न(1) 783416 PNB -11.7.25-25,00,000 (2) 2783417 PNB -11.7.25. 25,00,000। इसमें से ड्राफ्ट संख्या 783416 आज दिनांक को जोधपुर में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है जो द्वितीय पक्ष ने प्राप्त कर लिया है। ड्राफ्ट संख्या 783417 प्रथम पक्ष के वकील श्री राकेश अरोड़ा के पास है जो द्वितीय पक्ष द्वारा अग्रलिखित कार्यवाही दिनांक 16.07.2025 को भीलवाड़ा में पूर्ण करते वक्त श्री राकेश अरोड़ा द्वारा द्वितीय पक्ष की बहिन रितू बत्रा को दिया जाकर रसीद प्राप्त की जावेगी।

02. यह कि मुझ प्रथम पक्षकार एवम द्वितीय पक्षकार पक्षकार के बीच में पिछले 4 वर्ष में कई मुकदमे बाजी हुई। जिसमें प्रथम पर द्वितीय पक्ष ने धारा 498, 406 आईपीसी जोधपुर महिला थाना में दर्ज करवाया था जो अनुसंधान में पेम्डीग है। जिसके अनुसंधान

पर पर स्टे है। उक्त धारा 498ए, 406 आईपीसी का के केस में परिवादिया राजीनामा के आधार पर अनुसंधान अधिकारी वापिस लेने का प्रार्थना पत्र पेश करेगी। उक्त प्रकरण में राजीनामा के आधार पर कार्यवाही समाप्त करने हेतु द्वितीय पक्ष आवश्यक कदम उठायेगी।

03. यह है कि धारा 12 डी.वी एक्ट व धारा 23 डी.वी एक्ट एवम 125सी आर पी सी के प्रकरण द्वितीय पक्ष द्वारा पेश किये है जो परिवादिया/द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय से विद्रो कर लिये जायेंगे।

04. यह कि परिवादिया द्वारा बच्चो की कस्टडी प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र पारिवारिक न्यायालय संख्या 03 जोधपुर में पेश किया गया था जो प्रथम पक्ष के 07R11CPC के आवेदन पर प्रकरण पारिवारिक न्यायालय सं 1 भीलवाड़ा में अंतरित किया गया था जो भीलवाड़ा पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन-Defect में है जिसे परिवादिया दिनांक 16.07.2025 को विद्रो करेगी।

05 . यह कि प्रथम पक्ष द्वारा पारिवारिक न्यायालय भीलवाड़ा में धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदन किया जिसमे प्रथम पक्ष को पारिवारिक न्यायालय संख्या 02 भीलवाड़ा द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री जारी करते हुए पक्षकारान के मध्य दिनांक 8.2.11 को अनुष्ठापित विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1क) के आधार पर भंग किया जाता है। जिसकी अपील सं-290/2024 माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है जिसमें उक्त दिनांक 8.1.24 को जारी डिक्री पर स्टे है। उक्त अपील 290/2024 में यह राजीनामा पेशकर सहमति के आधार पर धारा 13 बी मे डिक्री लेने पर हम दोनो पक्षकारान आपस में सहमत है।

06. यह कि प्रथम पक्षकार रवि कालरा द्वारा एक आवेदन धारा 10 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट का पारिवारिक न्यायालय स 1 भीलवाड़ा में पेश किया गया जो कि दिनांक 21.2.2024 को निस्तारित हुआ एवम प्रथम पक्ष रवि कालरा को अवस्यक पुत्री उन्नती एवम पुत्र श्री उत्कर्ष की स्थाई संरक्षता दी गई जिसकी डिक्री दिनांक 21.2.24 को जारी की गई है

07. यह कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिये पक्षकारानों के बीच निम्न दस्तावेज सम्पत्ति, बैंक बेलेन्स, रजिस्ट्री, फर्म एल आई सी की पॉलिसी, एफ डी आर एवम समस्त चल अचल सम्पत्ति के लिये निम्न प्रकार से तय किया गया है।

08. यह है कि अर्पिता का पासपोर्ट मुझ रवि कालरा के पास है जिसकेस न H 4681470 अर्पिता जगी के नाम का है जो आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अर्पिता को सुपुर्द किया जाता है अर्पिता का आधार कार्ड 7494.2509 1593 एवम पेन कार्ड CSUPK4096G आज अर्पिता को सुपुर्द किया गया

(1) एफ डी आर नम्बर 815304 जो एस बी बी जे सत्यपाल जगी के नाम

(2) एफ डी आर नम्बर 816657 जो एस बी बी जे सुमन जगी के नाम

(3) एफ डी आर नम्बर 570442 जो एस बी बी जे अर्पिता जगी के नाम है

उक्त तीन एफ डी आर मय आधार कार्ड, पेन कार्ड मुझ अर्पिता द्वारा प्राप्त की गई एवम रवि कालरा ने सुपुर्द की गई

09. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष अर्पिता को सम्पूर्ण जीवन के स्वयं के भरणपोषण हेतु उपरोक्तानुसार रुपये 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) एक मुश्त देना तय किया गया है जो उपरोक्तानुसार जरिये डीमाण्ड ड्राफ्ट दिये जा रह हैं। द्वितीय पक्ष उपरोक्त एवं नीचे लिखे विवाद एवम मकान सम्बन्धित दस्तावेज बनने के लिये तैयार एवं तत्पर रहेगी एवम आनाकानी नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में भविष्य में भी आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष उपलब्ध रहेगी। उक्त एक मुश्त भरण पोषण राशि प्राप्त करने के पश्चात भविष्य में किसी प्रकार का क्लेम दावा, मागे, सम्पत्ति में हिस्सा आदि नहीं करूंगी, मैं द्वितीय पक्ष अपने उक्त वचन से पाबन्द रहूंगी।

10. यह कि पुत्री उन्नति एवम पुत्र उत्कर्ष जो कि अध्ययनरत है जिनके अध्ययन में कोई बाधा कारित नहीं करूंगी। तथा जहा आवश्यक होगा वहा में उनकी माता की हैसियत से हस्तातर करने के लिये तैयार रहूंगी तथा मेरी सहमति रहेगी। मैं उन्नति एवम उत्कर्ष के पासपोर्ट बनाने की लिये तथा अन्य किसी

प्रकार की औपचारिकता जो बच्चो के विदेश यात्रा के लिये आवश्यक होगी वह मैं करने के लिये तैयार व तत्पर रहूंगी व सहमत रहूंगी। जिसके लिये मैं एक वचन पत्र पृथक से स्टाम पेपर पर लिख कर हस्ताक्षर आज कर रही हूँ।

11. यह कि अवयस्क उन्नती (पुत्री) एवम् पुत्र उत्कर्ष जो पिता रवि कालरा की स्थायी कष्टडी में है, से विजिटेशन राइट भीलवाडा में अवकाश के दिन पक्षकार संख्या 02 अर्पिता को उसके स्वयं के खर्चे पर पूर्वसूचना पर रहेगा। एवम् बातचीत के लिए मोबाइल नंबर 6376741589 जो कि उन्नति के पास है बच्चो के शैक्षणिक अवकाश के दिन उपलब्ध रहेगा।

12. यह कि मकान सं 25 कमला पामस भीलवाडा में स्थित है जिसके 1/4 हिस्से का हक हिस्सा मैं अपने पति: ससुर सास के हक मे छोडने के लिये एक सहमति पत्र पर मैं हस्ताक्षर करने के लिये तैयार हूँ एवम् इस काम को अजाम देने के लिये स्वये भीलवाडा रजिस्ट्रार आफिस में जाकर जहां आवश्यक होगा अपने हस्ताक्षर करूंगी तथा बैंक ऑफ बडौदा ट्रॉसपोर्ट नगर, भीलवाडा में मेरे नाम से लोन है जो लोन प्रथम पक्ष द्वारा चुकाने के लिये मैं बैंक को लिखकर दूंगी मेरा लोन हटाकर मुझे ऋणी से मुक्त हो जाऊंगी।

13. यह उन्नति क्रिएशन फर्म की प्रोपाइटर अर्पिता कालरा हैं लेकिन आज के पश्चात द्वितीय पक्ष अर्पिता कालरा इसकी प्रोपराइटर नही रहेगी इसके लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही व हस्ताक्षर उसका नाम हटाने के लिये एवम् उसकी भागीदारी या जिम्मेदारी हटाने के लिये करनी होगी वो प्रथम पक्ष द्वारा करवायी जायेगी तथा द्वितीय पक्ष आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करेगी। इस फर्म की केवाईसी व उसमे जमा धन बैलेंस के विड्रोल हेतु भी द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के पक्ष में आवश्यक कार्यवाही दिनांक 16.07.2025 या इससे पूर्व करेगी।

14. यह कि हमारी एक फर्म विकास सिन्टेक्स प्राइवेट लि भीलवाडा में है जिसमे अर्पिता का हिस्सा 4.65 प्रतिशत शेयर केपिटल मे है जिसके लिये मैंने गिफ्ट डीड स्टाम्प 500/- पर लिखी गई है जो मैं अर्पिता कलरा अपना शेयर 4.65 प्रतिशत रवि

कालरा के पक्ष में गिफ्ट डीड पर आज दिनांक 14.07.2025 को हस्ताक्षर कर दिये हैं

15. यह कि मुझ प्रथम पक्षकार एवम द्वितीय पक्षकार का संयुक्त खाता संख्या 46520100005957 बैंड आफ बडोदा ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाडा में है जिसमें से मैं अर्पिता अपना नाम हटाने के लिये बैंक को आवेदन करूंगी।

16. यह कि मुझ प्रथम पक्षकार एवम द्वितीय पक्षकार की संयुक्त बीमा पालिसी सं. 18675442 जोकि भीलवाडा ब्रान्च में करवाई हुई है जिसकी समस्त किस्तों की अदायगी प्रथम पक्षकार द्वारा जमा कराई गई है। अतः मैं द्वितीय पक्षकार अर्पिता अपना हक एवम राशि रवि कालरा के पक्ष में अंतरित करती हूँ।

17. यह कि दोनों पक्षकार भविष्य में एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इस रिश्ते अथवा उपरोक्त व्यवसाय व सम्पत्ति को लेकर नहीं करेंगे।

इस अनुबंध पत्र पर आज दिनांक 14.7.25 को हम दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर स्वेच्छा से किये जिससे दोनों पक्ष पाबन्द रहेंगे। '

5. The agreement shall remain part of this order.

6. In the interest of justice and taking into consideration the peculiar factual matrix of the case and also the agreement arrived at between the parties with the help of their respective lawyers as they have decided to resolve the dispute, it would be in the fitness of the things and in the given circumstances that the present appeal be disposed of.

7. Accordingly, the present appeal is disposed of. The decree of divorce already granted is upheld.

8. It is made clear that all adverse comments or any kind of mutual allegations which have been dealt with by the learned Trial Court shall stand obliterated.

9. Both the parties shall be required to abide by the agreement as quoted above.

10. It is needful to say that if any deviation arises, the parties shall be free to approach this Court by moving an application in this matter.

(SUNIL BENIWAL),J. (DR.PUSHPENDRA SINGH BHATI),J.

106-ajayS/-